यू० जी० आयुष प्रवेश - 2018 (यू० पी०)

(B.A.M.S.,B.U.M,S & B.H.M.S.)

1 सामान्य सूचनाएँ

GENERAL INFORMATION

1.1 यह विवरण–पुस्तिका मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या–18464एम0एस0/2018 श्री प्रदीप कुमार चौधरी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक–15.11.2018 के अनुपालन में शासनादेश संख्या – 5138/96–आयुष–1–2018–345/2016 टी0सी0 आयुष अनुभाग–1 दिनाँक 19 नवम्बर, 2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, एवं केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद ,नई दिल्ली द्वारा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम् मानक के अनुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

1.2 यू0जी0 आयुष–2018 के मेरिट / परीक्षाफल के प्रकाशन के पूर्व अथवा बाद में, जब भी आवश्यकता हो, राज्य सरकार को प्रत्येक पाठ्यक्रम की सीटों (जिसमें अनारक्षित श्रेणी की सीटें भी सम्मिलित हैं) में कमी/बढ़ोत्तरी अथवा उनके सम्बन्ध में अन्य कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार होगा। साथ ही शासन को आवश्यकता पड़ने पर, किसी भी समय यू0जी0 आयुष–2018 के प्रवेश से सम्बन्धित आदेशों में संशोधन करने का अधिकार है।

1.3 यू0जी0 आयुष–2018 से सम्बन्धित समस्त विधिक वाद उ०प्र० के इलाहाबाद उच्च–न्यायालय की लखनऊ खण्ड–पीठ के क्षेत्राधिकार में ही होंगे।

1.4 मेरिट सूची में आये छात्रों को विभिन्न अर्ह श्रेणी में उपलब्ध सीटों पर आवंटन शासन द्वारा गठित काउन्सिलिंग बोर्ड के द्वारा काउन्सिलिंग के माध्यम से ही किया जायेगा।

1.5 यू0जी0 आयुष–2018 हेतु आवेदन की प्रक्रिया के दौरान आने वाली किसी भी तकनीकी–समस्या के निदान के लिए आवेदनकर्ता **www.dirayushupneet.com** पर ई–मेल कर अपनी समस्या का निदान प्राप्त कर सकते हैं।

2 महत्वपूर्ण निर्देश

IMPORTANT INSTRUCTIONS

2.1 आवेदन केवल ऑन–लाइन ही स्वीकार किया जाएगा। **कोई भी आवेदन–पत्र डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से स्वीकार नहीं होगा।** यू0जी0 आयुष–2018 की वेबसाइट **www.dirayushupneet.com** पर आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया दो चरणों में सम्पन्न की जानी है।

2.2 आवेदनकर्ता यदि निर्धारित तिथि तक भुगतान या ऑन–लाइन आवेदन नहीं कर पाते अथवा आवेदन सम्बन्धी दो–स्तरीय प्रक्रिया (, ऑन–लाइन–रजिस्ट्रेशन ,आवेदन–शुल्क–भुगतान) के दोनो चरणों की सापेक्षिक प्रक्रिया नहीं सम्पादित करते, तो ऐसी दशा में आवेदनकर्ता का यू0जी0 आयुष–2018 में आवेदन सम्बन्धी दावा किसी भी दशा में विचारणीय नहीं होगा।

2.3 आवेदन शुल्क (नॉन–रिफण्डेबल) – सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग आवेदकों के लिए रू॰ 2000/– मात्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए रू॰ 1000/– मात्र निर्धारित है। बैंक–ट्रान्जैक्शन–शुल्क (यदि कोई है) आवेदक द्वारा स्वयं वहन करना होगा।

2.4 **इस विवरण–पुस्तिका में उल्लेखित अर्हता–खण्ड के अनुसार ही आवेदक को अपनी पात्रता का आंकलन स्वयं करना होगा। पात्रता मूल प्रमाण–पत्रों के आधार पर काउन्सिलिंग/प्रवेश के समय ही सुनिश्चित होगी। अयोग्य–पात्र प्रवेश के योग्य नहीं होंगे और वे इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।**

2.5 ऑनलाइन आवेदन–पत्र रजिस्ट्रेशन करने की **अन्तिम तिथि 30.11.2018 है।**

2.6 आवेदन–पत्र में दी जा रही सूचना के आधार पर आवेदक को यू0जी0 आयुष–2018 प्रवेष हेतु ं मांगी गयी श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में बैठने की अनुमति दे दी जायेगी। किन्तु काउन्सिलिंग के समय काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के मूल–प्रमाणक देखे जायेंगे तथा उनके आधार पर यह निश्चित किया जायेगा कि अभ्यर्थी को आवेदित श्रेणी का लाभ अनुमन्य है अथवा नहीं। केवल इस आधार पर कि यू0जी0 आयुष–2018 प्रवेश की अनुमति दे दी गयी है, कोई भी अभ्यर्थी आवेदित श्रेणी का लाभ पाने का अधिकारी नहीं हो जायेगा। **जिस प्रमाण–पत्र के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा उसके फर्जी पाये जाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा और उसके स्थान पर नया प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।**

2.7 आवेदन–पत्र में लिखी या दी गयी किसी भ्रामक, गलत तथा तथ्यहीन सूचना के प्रकाश में आने पर प्रवेश के पूर्व अथवा प्रवेश के उपरान्त, जैसी भी स्थिति हो, अभ्यर्थी का अभ्यावेदन/प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। प्रवेशोपरान्त यह कार्यवाही सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य तथा काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा की जायेगी।

2.8 बायोमेट्रिक पद्धति (ऊँगली के निशानों) से अभ्यर्थी की पहचान का अनुसरण होगा। चयनित अभ्यर्थी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि (परीक्षा, काउन्सिलिंग या प्रवेश के पश्चात्) पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के साथ ही कानूनी कार्यवाही हेतु उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया जायेगा।

3 यू0जी0 आयुष–2018 से सम्बन्धित मुख्य तिथियाँ
IMPORTANT DATES FOR U.G. Ayush-2018(U.P.)

3.1	Online Application Forms submission	26-11-2018
3.2	Last Date of Form Submission	30-11-2018

4 अर्हताएं
ELIGIBILITY

4.1 यू0जी0 आयुष–2018 में अभ्यर्थियों की अर्हताएं निम्नवत होंगीः–

4.2 उत्तर प्रदेश ा के राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी का उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक होगा।

4.3 जिन अभ्यर्थियों ने हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, उनके लिए उत्तर प्रदेश में निवास का प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा।

4.4 ऐसे छात्र जिन्होंने हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में से एक परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ''सामान्य निवास प्रमाण–पत्र'' प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं अन्य सुसंगत अभिलेख जो प्रमाण–पत्र–1 (क) पर उपलब्ध है, को भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

4.4 ऐसे छात्र जिन्होंने हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट दोनों परीक्षायें उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण न की हो, को प्रवेश के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ''मूल निवास प्रमाण–पत्र'' प्रस्तुत करना आवश्यक होगा एवं अन्य सुसंगत अभिलेख, जो प्रमाण–पत्र–1(ख) पर उपलब्ध है, को भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

4.5 निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी कालेजों की सीटों पर प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं होगा।

4.6 **आयु सीमा** : – प्रवेश में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु दिनांक 31.12.2018 को 17 वर्ष से कम न हो तथा सी0सी0आई0एम0/सी0सी0एच0 नई दिल्ली के मानकानुसार हो।

5 **शैक्षिक अर्हता**

Educational Qualifications

इंटरमीडिएट विज्ञान (बायोलोजी ग्रुप) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी यू0जी0 आयुष–2018 के प्रवेश में सम्मिलित होने हेतु अर्ह होंगे। संबंधित पाठ्यक्रम में आवंटन तभी अनुमन्य किया जायेगा जब अभ्यर्थी प्रवेश हेतु अर्हता प्रमाण–पत्र काउंसिलिंग बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर देगा। प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में आवंटन नहीं किया जायेगा।

बी॰ए॰एम॰एस॰/बी॰यू॰एम॰एस॰ तथा बी॰एच॰एम॰एस॰ पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद/केन्द्रीय होम्योपैथ परिषद के रेग्यूलेशन के अनुसार निर्धारित अर्हतायें लागू होंगी। इसके अनुसार किसी भारतीय विश्वविद्यालय/बोर्ड या अन्य मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा संचालित परीक्षा में अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। बी॰ए॰एम॰एस॰/बी॰यू॰एम॰एस॰ तथा बी॰एच॰एम॰एस॰ पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद/केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा निर्धारित अर्हतायें मान्य होंगी जो निम्नवत् हैः–

5.1 सामान्य अभ्यर्थियों को अर्हता परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान में औसत 50 प्रतिशत अंक।

5.2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5.3 यूनानी कालेजों में बी॰यू॰एम॰एस॰ पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु यू0जी0 आयुष–2018 में सम्मिलित होने के लिए इण्टरमीडिएट विज्ञान (बायोलोजी ग्रुप) के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी को कक्षा–10 के समकक्ष उर्दू विषय की परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

6 **आरक्षण**

RESERVATION

यू0जी0 आयुष–2018 में अनुमन्य आरक्षण राज्य सरकार के आरक्षण नीति के अनुसार लागू होगा ।

प्रमाण–पत्र प्रारूप नं– 1

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र का प्रारूप (**UPOBC**)

संख्या––––––––
दिनांक––––––––––

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी––––––––––––––––––––––––
पुत्र/पुत्री/श्री––––––––––––––––––निवासी ग्राम ––––––––––––––––––––
तहसील––––––––––––नगर ––––––––––––––––जिला ––––––––––––––––––
उत्तर प्रदेश राज्य की ––––––––– पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन–जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ––––––––––––––– पूर्वोक्त अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनसूची–दो, जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम–2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम–2002 द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके माता–पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय आठ लाख रूप, या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथाविहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी–––––––––––––––––––– तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम––––––––––––––––––––––तहसील––––––––––––––––नगर जिला––––––––––––––– में सामान्यतः रहता है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
दिनांक ––––––––––––––––
स्थान––––––––––––––––––
मुहर ––––––––––––

हस्ताक्षर––––––––––––––––––
पूरा नाम ––––––––––––––––
पद नाम तथा सील––––––––––

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
सिटीमजिस्ट्रेट/परगना
मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

निर्धारित प्रारूप पर डिस्पैच संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत प्रमाणपत्र ही मान्य होंगें, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। प्रत्येक प्रकरण में काउंसिलिंग बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों की सूची

अहीर, यादव, ग्वाला, यदुवंशीय टरख, अर्कवंशीय

काछी, काछी कुशवाहा, शाक्य

कहार, कश्यप

केवट या मल्लाह, निषाद

थकसान कोइरी

कुम्हार, प्रजापति

कुर्मी, चनऊ, पटेल, पटनवार, कुर्मी–मल्ल, कुर्मी सैथवार कम्बोज

कसंगर

कुजड़ा या राईन गोसाई

गूजर

गड़ेरिया, पाल, और बघेल गद्दी, घोशी

थगरि

चिकवा (कस्सवा) कुरैशी, चक

छीपी, छीपा जेगी

झोजा

डफाली

तमोली, बरई, चौरसिया

नायक फकीर

बंजारा, रन्की, मुकेरी, मुकोरानी बढ़ई, शैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगढिया, जांगिड, धीमान

बरी

बैरानी बिन्द बियार

भर, राजभर

भुर्जी, भड़भेजा, भूज, कशोधन

भठियारा माली, सैनी

मनिहार, कचेर, लसैरा मुराव या मुराई, मौर्य मोमिन अंसार

भिरासी

मुस्लिम कायस्थ मारछा

रंगरेज, रंगवा

लोधी, लोधा, लौधी, लोटा, लोधी–राजपूत लोहार, शैफी

लोनिया, नोनिया, गोले–ठाकुर,

लोनिया–चौहान

सोनार, सुनार, स्वर्णकार

स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणियों में

सक्का भिस्ती, भिश्ती अब्बासी

धोबी (जो अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन–जातियां गंधी,

अर्राक की श्रेणी में सम्मिलित न हों)

कतेरा, ठठेरा, ताम्रकार नानबाई

मैर शिकार

शेख, सरबरी (पिराई) पीराही मेद, मेवाती

कोष्टा/कष्ठी रोड

खुमरा, संगत राम, हसीरी मोर्चा

खागी

तंवर सिंघाड़िया कतुआ

महीगीर

छांगी

धाकड़ गाड़ा तंतवा जोरिया

पटवा, पटहारा, पटेहरा, देववंशी जाट

कलाल, कलवार, कलार

तेली, सामानी, रोगनगर, साहु, सैनियार दर्जी, इदरीसी, काकतस्था धीवर नक्काल नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)	सम्मिलित न हो), हलालखोर हलवाई मोदनवाल हज्जाम, नाई, सलमानी, सबिता, श्रीवास रायसिख	नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी, कन्डेरे, कडेरेकिरण (कर्ण)

नोट : उपरोक्त का सत्यापन शासन के निर्दिष्ट से कर लिया जाये।

प्रमाण पत्र प्रारूप नं– 2

(उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए जाति प्रमाणपत्र का प्रारूप)

संख्या————————— दिनांक —————————

(UPSC/UPST)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ————————————पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ————————————————निवासी ग्राम———————————————————— तहसील————————————————————नगर———————————————————— ——————————————————————जिला——————————————————— उत्तर प्रदेश राज्य की ————————— जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ (संविधान) अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश (आदेश), 1987 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी————————————————————तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम———————————— तहसील——————————— नगर————————— जिला————————————में सामान्यतया रहता है।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर———————

स्थान———————

दिनांक ——————

हस्ताक्षर

पूरानाम

पदनाम तथा सील——

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतनभोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

निर्धारित प्रारूप पर डिस्पैच संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत प्रमाणपत्र ही मान्य होंगें, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। प्रत्येक प्रकरण में काउंसिलिंग बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों/जन जातियों की सूची

1— अगरीया	34— धरमी	उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों की सूची
2— बधिक	35— धसिया	
3— वदी	36— गोंड	1— थारू
4— बहेलिया	37— ग्वाल	2— बेनस
5— बैगा	38— हबुड़ा	3— भोटिया
6— बैसवार	39— केली	4— श्राजी
7— बजनिया	40— केला	5— जौनसारी
8— बजगी	41— क्लाबाज़	शासनादेश संख्या—111 भा—स—/26—03—2003(7) /2003 दिनांक 3—07—2003 के
9— ब्लहर	42— कंजड़	द्वारा भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किया हैः—
10— बलई	43— कबडिया	
11— बाल्मीकि	44— करबल	
12— बंगाली	45— खरैता	6— गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया,
13— बनमानुश	46— खरबार (बनवासी को छोड़कर)	
14— बांसफोर	47— खटिक	गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपदों में)
15— बरवार	48— खरोट	
16— बसोड़	49— कोल	7—खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वारा.ासी एवं सोनभद्र जनपदों में)
17— बयरिया	50— कोरी	
18— बेलदार	51— कोरवा	8—सहरिया (ललितपुर जिले में)
19— बेड़िया	52— ललबेगी	9— परहिया (सोनभद्र जिले में)
20— भ्रांतु	53— मझवार	10— बैगा (सोनभद्र जिले में)
21— भुइया	54— मजहबी	11— पंखा, पनिका (सोनभद्र एवं मिर्जापुर में)
22— बोरिया	55— मुसहर	12— अगरिया (सोनभद्र जनपद में)

23— भदयार	56— नट	13— पटारी (सोनभद्र जनपद में)
24— चमार, झूसिया, धुसिया, जाटव	57— पंखा	14— चेरो (सोनभद्र एवं वाराणसी जनपद में)
25— नेरो	58— पहरिया	15— भुइया, भुनिया (सोनभद्र जनपद में)
26— छबगर	59— पसी, तरमाली	
27— धागंर	60— पतरी	
28— धानुक	61— श्रावत	
29— धरकार	62— सहरिया	
30— धोबी	63— सनोरिया	
31— डोम	64— सांसिया	
32— डोमर	65— शिल्पकार	
33— दुसाध	66— तुरैहा	

नोट : जो व्यक्ति हिन्दू धर्म से किसी भिन्न धर्म को मानता है वह उत्तर प्रदेश में जैसा कि उपयुक्त सूची में उल्लिखित है, अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जायेगा। विधायी अनुभाग–1 अधिसूचना पत्र दिनांक 06–06–2002 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश–2002 एवं अधिसूचना पत्र दिनांक 25–06–2002 द्वारा प्रख्यापित (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश–2002 के अनुसार आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

घोषणा पत्रः–

शैक्षणिक सत्र 2018–19 मे मा0 उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश के अधीन मान्यता प्राप्त आयुष (आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ) महाविद्यालयो में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग के समय छात्रों द्वारा प्राप्त

अभ्यर्थी की फोटो

1. अभ्यर्थी का नामः–

2. पिता का नामः–

3. पता–

4. यू0जी0 आयुष–2018 का अनुक्रमांक/**रजिस्ट्रेशन नंबर** :–

5. आवंटित आयुर्वेदिक कालेज का नामः–

मुझे उपर्युक्त आवंटित महाविद्यालय के विषय में जानकारी प्रदान कर दी गयी है कि आवंटित माहविद्यालय की मान्यता के संबन्ध में वाद मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जो भी अन्तिम आदेश पारित होंगे, वो मुझे मान्य होगें।

अभ्यर्थी का बायां अंगूठा का निशान